### <u>न्यायालयः</u>— तृतीय व्यवहार <u>न्यायाधीश वर्ग</u>—1, बालाघाट, जिला—बालाघाट (म०प्र०) { पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

<u>व्यवहार वाद क्र. 160–ए/2017</u> <u>संस्थापन दि. 25.11.2017</u> फाईलिंग.नं. आर.सी.एस.ए/829/2017

## / / विरूद्ध 🅢

- 1. रूपचंद मातरे पिता स्व. महारू मातरे, उम्र 40 वर्ष,
- 2. रोशनलाल मातरे पिता स्व. बोमल्या मातरे, उम्र 50 वर्ष,
- 3. रोशलाल मातरे पिता बोमल्या मातरे, उम्र 45 वर्ष,
- श्रीमती पतुल मातरे पति रूपचंद मातरे, उम्र 35 वर्षे,
- श्रीमती रूपाबाई पित फिरत मातरे, उम्र 45 वर्ष,
  कं. 1 से 5 सभी जाति मरार, निवासी ग्राम साल्हे, वार्ड नं. 06, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट,
- आवेदक / वादी द्वारा श्री एल.ओर. गढ़वंशी अधिवक्ता।
- 2. अनावेदक / प्रतिवादी कृं. 1 से 5 द्वारा श्री धर्मेन्द्र धानेश अधिवक्ता।
- 3. प्रतिवादी कं. 6 पूर्व से एकपक्षीय।

# / / आदेश / /

### { <u>आज दिनांक 27.02.2018 को पारित</u> }

- 1. इस आदेश द्वारा आवेदक / वादी की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश—39 नियम—1 व 2 तथा धारा—151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर—1 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. आवेदकगण / वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर—1 संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पूर्वजों की मालकी व कब्जे का रहवासी मकान व हाथाबाड़ी मौजा साल्हे प.ह.नं. 14 रा.नि.म. माटे तहसील किरनापुर जिला बालाघाट में शासकीय आबादी भूमि में खसरा नं. Z14 में रकबा 30 गुणित 60=1800 वर्गफुट भूमि ग्राम साल्हे के मध्य भाग में बीच बस्ती में स्थित है जिसे वाद पत्र में एवं नजरी नक्शा अनुलग्न अ में छं. 1 में चिन्हित किया गया है। उक्त मकान व हाथाबाड़ी वादी के पूर्वजों के मालकीयत एवं कब्जे का रहवासी मकान व हाथाबाड़ी वादी को उनके पूर्वजों के पिता से प्राप्त हुई थी, जिस पर वादी का जन्म से कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है अर्थात् वादी के पिता के जीवितकाल से करीब 100 वर्षों से कब्जा व आधिपत्य चले आ रहा है तथा वादी / आवेदक का रहवासी मकान जो अत्यधिक जीर्ण शीर्ण हो चुका था जिसे तोड़कर उसी स्थान पर मकान निर्माण का कार्य 01 फरवरी 2017 को प्रारंभ किया था मकान निर्माण हेतु कालम गढ्ढे

खुदाये गये थे जिस पर प्रतिवादीगण/अनावेदकगण द्वारा एक राय होकर द्वेष पूर्ण भावना से वादी के मकान के कालम गड्डे में मिट्टी डालकर समतलीकरण कर दिये तथा वादी को गाली गलौच तथा जान से मारने की धमिकयां देते हुए वादी को मकान निर्माण कार्य करने से रोक दिये तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण के धमिकयों के डर के कारण वादी द्वारा मकान निर्माण कार्य रोक दिया गया क्योंकि आवेदक/वादी अशिक्षित बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण प्रतिवादीगणों के कृत्यों से भयभीत हो गया, तब वादी द्वारा प्रतिवादीगणों के विरुद्ध पुलिस थाना किरनापुर में दिनांक 11.02.2017 को लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई तत्पश्चात् विवादित मकान के मौका स्थल पर पुलिस किरनापुर द्वारा आकर प्रतिवादीगण/अनावेदकगण को समझाईश दी गई और वादी को मकान निर्माण कार्य करने की अनुमित दी गई।

- आवेदक / वादी ने आगे यह अभिवचन किया है कि पुलिस किरनापुर द्वारा प्रतिवादीगण को समझाईश देने के उपरांत भी प्रतिवादीगण के द्वारा विवाद किया जाता रहा, जबकि प्रतिवादीगण/अनावेदकगण को वादी के कब्जे व मालकी की भूमि में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के मकान निर्माण कार्य में जानबुझकर बाधा डालकर हस्तक्षेप किया गया है, जिसके कारण वादी के मकान निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, बारिश के समय वादी/आवेदक को उक्त मकान में रहवास करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, चूंकि वादी के पास विवादित मकान की भूमि के अलावा कोई भी मकान की भूमि नहीं है, तथा प्रतिवादीगण /अनावेदकगण का उक्त विवादित मकान में कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, फ़िर्े भी प्रतिवादीगण/अनावेदकगण द्वारा बदनियति पूर्वक वादी/आवेदक के कब्जे में दखल देने के प्रयास कर रहे हैं, विवादित भूमि से लगकर प्रतिवादीगण/अनावेदकगण का मकान व हाथाबाड़ी जो नजरी नक्शा अनुलग्न अ में कं. 2 एवं 3 चिन्हीत कर दर्शाया गया है जो वादी के कब्जे व मालकी की भूमि से लगकर स्थित है। विवादित मकान कच्चा मकान व हाथाबाड़ी के रूप में है तथा उक्त मकान के पिछले हिस्से में वादी द्वारा विगत 2 वर्ष पूर्व सन् 2015 में पक्का संडास का निर्माण भी किया गया है तथा ग्राम पंचायत साल्हे द्वारा वादी को उक्त संडास निर्माण हेतू शासन से 12,000 / –रू. स्वीकृत भी किया गया है जिसमें वादी/आवेदक को 6,000/-रू. भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय की गई है तथा वादी/आवेदक द्वारा मकान में अपने उक्त विवादित मकान में विगत 2 वर्ष पूर्व एक पक्का ट्यूबवेल (कुआ) भी निर्माण किया गया है उस समय प्रतिवादीगण / अनावेदकगण द्वारा संडास निर्माण एवं ट्यूबवेल निर्माण में कोई आपित्त भी नहीं ली गई थी, इस प्रकार वादी/आवेदक 2 अक्टूबर 1959 को भी उक्त मकान व भूमि में काबिज रहने के कारण वादी को उसी दिन उक्त विवादित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुका है। अत: वादी/आवेदक विवादित भूमि का भूमिस्वामी भी बन चुका है तथा वादी / आवेदक का रहवासी मकान व हाथाबाड़ी ग्राम पंचायत के रिकार्ड में भी इन्द्राज है तथा वादी आवेदक द्वारा नियमित रूप से भवन कर भी अदा किया जा रहा है। आवेदक रवादी उक्त मकान के स्वामी व आधिपत्यधारी है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में है। पुराने मकान को तोड़कर उसी स्थान पर नया मकान बनाया जा रहा है। अतः सुविधा का संतुलन भी उन्हीं के पक्ष में है तथा वाद में अपूर्णिय क्षति का बिंदु भी वादी के पक्ष में है। अतः अनावेदकगण को बाधा पहुंचाने से रोक हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे।
- 4. अनावेदकगण्/प्रतिवादीगण ने वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत

आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि अनावेदक कं. 1, 4 एवं 5 के कब्जे एवं मालकीयत की भूमि ग्राम साल्हे, रा.नि.म. माटे तहसील किरनापुर जिला बालाघाट में स्थित है जिसका खसरा नं. 88 रकबा 0.053 हेक्टेयर है जिस पर प्रतिवादीगण का पूर्वजों के समय से बेरोकटोक कब्जा एवं निस्तार है तथा मकान बना है एवं राजस्व प्रलेखों में भी अनावेदकगण का नाम बदस्तुर चला आ रहा है। आवेदक द्वारा प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के कब्जे एवं मालकीयत की भूमि खसरा नंबर 88 रकबा 0.053 हेक्टेयर पर कॉलम खोदकर मकान निर्माण का कार्य आरंभ किया गया प्रतिवादीगण / अनावेदकगण ने आवेदक से कहा कि उक्त हमारी भूमि पर कॉलम गढ्ढे क्यों खोद रहे हो, उक्त भूमि उनके कब्जे एवं मालकी की है यदि आप को मकान बनाना है तो पहले सीमांकन करवा लो किंतु आवेदक प्रतिवादीगण / अनावेदकराण की बात ना मानकर वाद विवाद करने लगा तथा जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसकी शिकायत पुलिस थाना किरनापुर में प्रतिवादीगण / अनावेदकगण द्वारा की गई, जिस पर किरनापुर पुलिस ने आवेदक को निर्माण कार्य ना करने की समझाईश दी। आवेदक को किरनापुर पुलिस द्वारा समझाईश देने पर आवेदक द्वारा अनावेदक कं. 1 के विरुद्ध सी.एम. हेल्पलाईन में दिनांक 20.02.2017 को इस आशय की शिकायत की कि अनावेदक कं. 1 द्वारा आवेदक की भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिसकी जांच राजस्व अधिकारी द्वारा की गई तथा बताया गया कि अनावेदक कृं. 1 ने आवेदक की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया शिकायत झूठी प्रतीत होती है। आवेदक राजस्व अधिकारी द्वारा की गई जांच से सहमत न होने पर अन्य उच्च अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच की जाए ऐसा आवेदन, आवेदक के पुत्र संतलाल द्वारा दिया गया, जिस पर राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा स्थल पर जाकर आवेदक, अनावेदकगण एवं ग्रामीणजन की उपस्थिति में पंचनामा बनाया गया जिसमें लेख किया कि, आवेदक जिस भूमि पर कॉलम गड़डे खोदकर मकान निर्माण कर रहा है, उक्त भूमि अनावेदक कं. 2 के नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज है।

अनावेदकगण / प्रतिवादीगण ने आगे यह अभिवचन भी किया है कि आवेदक द्वारा राजस्व अधिकारी द्वारा नाप जोख एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराने के बावजूद भी दिनांक 28.05.2017 से पुनः निर्माण कार्य आरंभ किया, निर्माण करने से मना करने पर मारने पीटने पर जान से मारने की धमकी देने लगा जिसकी शिकायत दिनांक 29.05.2017 को किरनापुर थाने में अनावेदकराण द्वारा की गई, अनावेदक कं. 1 द्वारा थाना किरनापुर में शिकायत करने पर आवेदक द्वारा कार्य बंद नहीं किया तब अनावेदक कं. 1 ने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय किरनापुर के समक्ष दिनांक 30.05.2017 को एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी / आवेदक का अवैध कब्जा रोका जाए एवं आवेदक का अवैध कब्जा हटा कर कब्जा अनावेदक कं. 1 को दिया जाए माननीय न्यायालय तहसीलदार किरनापूर के आदेश पर राजस्व निरीक्षक माटे द्वारा आवेदक अनावेदकगण एवं ग्रामीण जनों को दिनांक 11.06.2017 को सूचना दी गई तथा उपस्थित जनों के समक्ष राजस्व निरिक्षक माटे द्वारा विवादित स्थल का दिनांक 13.06.2017 को नाप जोक किया गया सीमा बताई गई पंचनामा बनाया गया तथा तहसीलदार को दिनांक 05.07.2017 को प्रतिवेदन प्रेषित कर अवगत कराया गया कि आवेदक / वादी का प्रतिवादीगण / अनावेदकगण की 0.06 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा है। राजस्व निरिक्षक माटे द्वारा प्रेषित सीमांकन रिपोर्ट प्रतिवेदन पंचनामा फिल्ड बुक तथा साक्षियों के साक्ष्य लेने के पश्चात तहसीलदार महोदय

किरनापुर द्वारा पाया गया कि आवेदक / वादी ने अनावेदकगण के कब्जे एवं मालकीयत की भूमि में अवैध कब्जा किया है इसलिये उसे उक्त भूमि से बेदखल किया आदेश दिनांक 30.10.2017 को पारित किया गया, आदेश के परिपालन में आवेदक / वादी का अवैध कब्जा हटा कर प्रतिवादीगण / अनावेदकगण को कब्जा दिया गया किंतु आवेदक / वादी है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तथा आये दिन कब्जा करने की कोशिश करता है। वाद प्रथम दृष्ट्या आवेदन के पक्ष में नहीं है क्योंकि उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण / अनावेदकगण का कब्जा है तथा राजस्व प्रलेखों में प्रतिवादीगण / अनावेदकगण का नाम दर्ज है ऐसी स्थिति में संपत्ति के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

- **6.** विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :--
  - 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
  - 2— ्रक्या सुविधा का संतुलन वादी / आवेदक के पक्ष में है ?
  - 3— क्या वादी / आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

#### सकारण निष्कर्ष

# विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2, 3 के संबंध में:-

- सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदक / वादी ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय आबादी भूमि है, जिस पर उसके पिता एवं उसके पूर्वजों का सौ वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, उस पर स्थित मकान जीर्ण-शीर्ण हो गया, उसे तोड़कर उसी स्थान पर नवीन मकान का निर्माण कराया जा रहा था तो प्रतिवादीगण / अनावेदकगण के द्वारा विवाद किया गया, जिस कारण से मकान का निर्माण कार्य अधूरा है जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण/अनावेदकगण का कहीं कोई कब्जा नहीं रहा है उक्त मकान पर उसका टयूबवेल भी लगा हुआ है जिस पर की प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के द्वारा आपत्ति नहीं की गई है। वादी / आवेदक वादग्रस्त भूमि का स्वामी बन चूका है और नियमित रूप से भवन कर भी अद्युकर रहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में है, यदि उसे निर्माण कार्य से रोका जाता है तो उसे असुविधा एवं क्षति होने की संभावना है। अतः भवन के निर्माण कार्य तक प्रतिवादीगण/अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जावे जबिक प्रतिवादीगण/अनावेदकुगण का यह अभिवचन है कि वादी ने उनके कब्जे ओर मालकी की भूमि खसरा ने 88 रकबा 0.053 हेक्टेयर पर कॉलम गढ्ढे खोदकर निर्माण किया गया, इस कारण से उसे रोका गया और शिकायत की गई, उक्त भूमि उनके आधिपत्य में है। वादी / आवेदक के आवेदन पर राजस्व अधिकारी के द्वारा नापजोख की गई, जिसमें यह पाया गया कि वादी प्रतिवादी कं. 2 की भूमि में निर्माण कार्य कर रहा है जिसे निर्माण कार्य करने से रोका गया तो उसके द्वारा पुनः कार्य प्रारंभ किया गया वादी / आवेदक ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से आधिपत्य कर लिया है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं है अतः उसका आवेदन निरस्त किया जावे।
- 8. वादी/आवेदक की ओर से रूक्खनलाल पंचेश्वर, भरतलाल राउत का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है और प्रतिवादीगण/अनावेदकगण की ओर से सालिकराम खरे, पवन राणा, गेंदलाल बिसेन और भोजलाल मात्रे का शपथपत्र

प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष की ओर से एक दूसरे की ओर से खण्डनकारी शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। वादी/आवेदक की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई रिपोर्ट के आवेदन की प्रतिलिपियां व उक्त भूमि का पट्टा प्राप्ति हेतु कलेक्टर को दिये गये आवेदन की प्रति व भैयालाल, मूलचंद, डुलीचंद पिता कपूरचंद, के नाम पर खसरा कं. 88 रकबा 0.053 डिसमिल पर स्थिति मकान के खसरे की सत्यप्रतिलिपि तथा बिजली का बिल, वादग्रस्त स्थल के फोटोग्राफ तथा वादी के द्वारा अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से स्वंय की भूमि का खसरे की सत्यप्रतिलिपि, व वादी/आवेदक के विरूद्ध की गई शिकायतों की प्रमाणित प्रतिलिपि व वादी/आवेदक के आवेदन पर वादग्रस्त भूमि के सीमांकन के प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

- 9. वादी/आवेदक ने वादग्रस्त भूमि पर अपने पिता और उनके पूर्वजों का सौ साल से कब्जा होने के आधार पर स्वामित्व व आधिपत्य होना दर्शाया और शासन के पट्टा दिये जाने की मांग का आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः इससे दर्शित है कि उक्त भूमि पर वादी को कोई पट्टा आदि प्राप्त नहीं हुआ है। वादी सौ वर्ष से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है इस संबंध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, मात्र बिजली के बिल से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वादी वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी है। जबिक प्रतिवादीगण ने अपने आधिपत्य के संबंध में खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है। प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वादी/आवेदक के आवेदन पर राजस्व अधिकारियों के द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन किया गया है उक्त सीमांकन प्रतिवेदन प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिसका खण्डन वादीगण की ओर से नहीं किया गया है।
- 10. वादी / आवेदक की ओर से यह तर्क किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य और उसे असत्य रूप से राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने बाबत् नोटिस दिया गया है। उक्त नोटिस वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जबिक प्रतिवादीगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि वादी के आवेदनपत्र राजस्व निरीक्षक के द्वारा मौके का सीमांकन किया गया है और वादी के द्वारा प्रतिवादीगण / अनावेदकगण की भूमि पर अतिक्रमण करना पाया गया है, इस कारण से उसे उक्त नोटिस दिया गया है। प्रतिवादीगण / अनावेदकगण की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराया है और उसके विरूद्ध रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इस तथ्य को वादी को द्वारा छिपाया गया है। अतः वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय नहीं आया है, इसलिए वह निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से न्याय दृष्टांत ''लोकेश सान्याल एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2007 (2) एम.पी.एल.जे. 221 एवं ''अनिल कुमार विरूद्ध ठाकुरदास'' 2005(5) एम.पी.एल.जे. 76 प्रस्तुत किया है।
- 11. वादी/आवेदक की ओर से करवाए गए सीमांकन को वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत न किया जाकर प्रतिवादीगण/अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उक्त सीमांकन प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि स्वयं वादी के द्वारा प्रतिवादीगण/अनावेदकगण की भूमि पर कब्जा किया गया है और उक्त कब्जा हटाये जाने बाबत् वादी को राजस्व निरीक्षक के द्वारा नोटिस भी दिया गया है, उक्त नोटिस वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है किंतु सीमांकन प्रतिवेदन वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और

ना ही उसके द्वारा उसके संबंध में कोई अभिवचन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने तथ्यों को छिपाते हुए यह आवेदन प्रस्तुत किया है, वादी स्वच्छ हाथों ने न्यायालय नहीं आया है। न्याय दृष्टान्त*े <mark>अमरसिंह वि. यूनियन ऑफ</mark> इंडिया एवं अन्य'' (2011) 7 एस.सी.सी. 69* में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किये गये हैं कि स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष एक साम्यिक अनुतोष होता है और जो कोई इस अनुतोष की प्राप्त करना चाहता है, उसे न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना चाहिए और ज्यूरिसप्रूडेंस का यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि पक्षकारों को अपने अभिवचनों में स्पष्टता और निष्कपटता रखनी चाहिए और उस दशा में और भी आवश्यक हो जाता है, जब पक्षकार निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए न्यायालय के समक्ष आता है। वादग्रस्त भूमि पर वादी/आवेदक का आधिपत्य है यह दर्शित नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में नहीं दिखाई देता है तथा प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में न होने से अपूर्णीय क्षति और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में दिखाई नहीं देता है।

- अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदक ⁄वादी के पक्ष में न होने से आवेदक / वादी का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सी.पी. सी. आई.ए.नंबर-1 विधिसंगत न होने से निरस्त किया जाता है।
- इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा। 13.0 मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया। आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही / – (अपर्णा आर.शर्मा) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बालाघाट (म.प्र.)

सही / – (अपर्णा आर. शर्मा) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 THERE WEIGHT BY ARTERIA HEREAL PROPERTY AND ASSESSED TO SHARE SHARE AND ASSESSED TO SHARE SHARE AND ASSESSED TO SHARE AND ASSESSED T बालाघाट (म.प्र.)